विधेयक का संक्षिप्त विश्लेषण
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- यह विधेयक 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहरी जनसंख्या को खाद्यान्न पाने का हकदर्शन बनाने का प्रस्ताव रखता है। इसमें से, कम से कम 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या को प्राथमिकता परिवारों के रूप में नामित किया जाएगा। शेष को सामान्य परिवारों के रूप में नामित किया जाएगा।
- प्राथमिकता परिवार प्रति व्यक्ति निवास में 7 किलो सबसी और खाद्यान्वयन प्राप्त करने के लिए हकदर्शन होंगे। सामान्य परिवार कम से कम 3 किलो प्राप्त करने के हकदर्शन होंगे।
- केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में उन लोगों का प्रतिशत निधान रत्न करेगी जो प्राथमिक तथा सामान्य समूह में होंगे। राज्य सरकारें इन समूहों में आने वाले परिवारों की पहचान करेंगी।
- यह विधेयक कुछ विशेष समूहों का भोजन पाने का हकदर्शन बनाने का प्रस्ताव रखता है। इनमें गर्भवती महिलाएं, छह माह से 14 सप्ताह तक बच्चे, कुपोषण से पीड़ित बच्चे, महामारी से पीड़ित लोग शामिल हैं।
- मशकायत निन्जारण तंत्र क्लिया, राज्य तथा केंद्र निकाय स्तर पर स्थायी रूप से लागू होगा।
- यह विधेयक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में सुधार का प्रस्ताव रखता है।

प्रमुख मुद्दे एवं विश्लेषण

- यह विधेयक लाभार्थियों को तीन समूहों में बांटता है। लाभार्थियों की पहचान उन्हें इन समूहों में बांटने (समूहों में शामिल करने व बाहर रखने) में केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।
- कई पात्रताओं तथा शिकायत निवारण दोंगों के लिए राज्य विधानसभा की फ़ॉलो वर्डर का लाभ पाने के लिए योग्य बजट आबंटन करने पहले से ही तय किए जाते हैं। उनके पास परिवार के प्रति समझौता नहीं करते हैं या उनके पास परिवार के संबंध से अभिव्यक्ति नहीं की जाती है।
- इस विधेयक में प्राथमिक तथा सामान्य परिवारों के लिए पात्रता हेतु निर्धारित अंतिम (कट-ऑफ) संधार का अंतिम प्रदान नहीं किया गया है।
- शिकायत निवारण फ़ॉलो वर्डर के संदर्भ में लिखित सिटिज़न चैयर विधेयक में दिए फ़ॉलो वर्डर के साथ ओपनरेप्लेन बना सकता है।
- विधेयक की अनुमति III उन लोगों के बारे में है जो खाद्य सुरक्षा से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होते हैं। यह अर्थतः है कि इन्हें वह विधेयक में लिखा गया है।
- विधेयक में शुभ्रमी से पीड़ित तथा बेहोश व्यक्तियों के लिए सामान परिषद प्रदान की गई है। हालांकि, दोनों समूहों की पात्रता अलग है।

Sakshi Balani
sakshi@prsindia.org
26 सितंबर, 2012
भाग अ: विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

संदर्भ

भारत मूलतः डेलेटियल ऑफ ह्यूमन राइट्स (1948) तथा इंटरनेषनल कॉवेन्ट्स ऑफ इन्जुस्टिसिस्क्स, सोसेशन एंड कंपनी राइट्स (1966) का हस्तांतरक है, जो परम्परा बोधन के अधिकार को मान्यता देते हैं। भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिसिपल ऑफ स्टेट्स पोलिसी के दिशानुसार सिद्धांत बताते हैं कि राज्य का कर्त्तव्य उसके लोगों का पोषण एवं जीवन स्तर वृद्धि, तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है।

1996 में, नईदीली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सर्वाधिक स्वास्थ्य ने घोषित किया कि अन्य अधिकारों के साथ साथ "किसी भी सामाजिक समूह में जीवन के अधिकार की गायकी का अर्थ होता है बोधन का अधिकार।"1 2001 में, पीएसयू महानगर पौर्व विकास विभाग (पीएसयू) ने यह ताक़द देखा है कि भोजन का अधिकार" सामाजिक "जीवन के अधिकार" का हिस्सा होता है जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 21 में बताया गया है। उस मामले में चल रही मुद्दामेंजी में, स्वास्थ्य ने कई अंतरराष्ट्रीय आदेश जारी किए हैं।

2001 में, स्वास्थ्य ने वैध पात्रता के रूप में अपने क्षेत्र द्वारा प्रायोजित बोधनों के क्षेत्रावधि का आँचा दिया।2 इसमें अन्य के साथ साथ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (डीडीएस), अन्तर्राष्ट्रीय अन्त्यक्षण (एएस), और भूमिज्जन, समंजित बाल विकास सेवा (आईसीएस) शामिल हैं। 2008 में, न्यायालय ने आदेश दिया कि गरीबी रेखा के बाइपीएफ मान्यता से पहले से पसंदिद्ध बाल विकास पर अतिरिक्त 35 किलोग्राम खाद्यान्वयन का पात्र होगा।

अंतराल 2010 में, मेनेजर इंडियनी कॉडिशन्स (एपएएस) ने लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या के लिए वैध प्राप्त करने का प्रस्ताव रखते हुए, राज्यस्तरीय सुरक्षा विधेयक का महत्त्वपूर्ण तत्त्व धारण किया। जनवरी 2011 में, डॉ. सी. संग्रहालय के अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय महानगर पौर्व विकास विभाग (डीडीएस) द्वारा तथा एक विशेष समिति ने इस धारणा को बताया कि तथा कई सुझाव दिए, जिनमें लाभाधिकारियों के अनुपात को कम करना व पौर्व विकास विभाग को केंद्रीयता करता आर्थिक था। सितंबर 2011 को सार्वजनिक सुझावों के लिए बोधन, उपभोक्ता मामले तथा सार्वजनिक वितरण स्वास्थ्य द्वारा एक महत्त्वपूर्ण धारणा दिया गया था। मौका विधेयक को दसंबर 2011 में पेश किया गया था।

मुख्य विशेषताएँ

पात्रता

• सरकार विभाग वितरण प्रणाली (डीडीएस): इस विधेयक में बताया गया है कि 75 प्रतिशत तक ग्रामीण जनसंख्या तथा 50 प्रतिशत तक शहीदी जनसंख्या डीडीएस के तहत खाद्यान्वयन पाने की हकदार होंगी। इसमें से, कम से कम 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहीदी जनसंख्या को प्रायोजित किया जाएगा (शेष "सामान्य" है।)

• विशेष राज्य: इस विधेयक में अन्य के अलावा, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली माताओं, बच्चों, बेहेजाएं, बेरोजगार, बंजरीं, तथा भुखमरी से पीड़ित लोगों को भोजन पाने का हकदार बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान करने वाली माताओं को भोजन की पात्रता के लिए पोषण मानकों के बारे में बताया गया है।

लाभाधिकारियों की पहचान

• बेहेजाएं तथा बेरोज़गार लोगों को पहचाना राज्य सरकार द्वारा अधिकृत (जो अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर जारी होंगे) के बाद मिलेगी। राज्य सरकार भुखमरी के मामलों की रोकथाम, प्रदान तथा राहत के लिए दिशानिर्देश तैयार तथा अधिसूचित बनाए रखेगी।

• प्रायोजन लोगों के लिए उनके परिवार अपने मौके विवाह स्थापना पर भोजन पाने का दावा कर सकते हैं।

26 दिसंबर, 2012
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

मदहला की अनुपक्षनत में सबसे बुनिगव मदहला राशि काडव जारी करने के उद्देश्य के लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं सामान्य पररिवारों की सूची को सार्वजनिक किया जाएगा।

**टीपीईएस में सुधार**
- केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास दाहित्व उठाने के उद्देश्य के लिए प्रत्येक प्राथमिक एवं सामान्य पररिवारों की सूची को सार्वजनिक करेगा।

**शिकायत निवारण तथा निरालानी**
- पात्रा का लागू करने तथा शिकायत की जांच के लिए राज्य सरकारों की जिला शिकायत निवारण अधिकारियों (डीजीआरओ) की नियुक्ति करेगी। पूर्वयोगकर्ता तब किए गए खाद्यान्वयन के प्रति भी उल्लेख करेगा क्योंकि यह निषेधान्वयन के प्रति उच्च ध्यान से समझाए जाने वाला है।

**राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग**
- राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग एवं राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। इनके आयोग की सेवाएं व्यक्तियों एवं समुदाय के लिए अत्यधिकतम उपयोगी होंगी।

**प्रत्येक राज्य सरकार**
- प्रत्येक राज्य को एक विपणनपत्र, पांच सदस्य एवं एक सदस्य-सचिव का चुनाव करने का अधिकार होगा। कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी तथा दो सदस्य अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित होंगे।

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम**
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मामले में सुधार की उम्मीद और उसके अनुसार दिनांकित प्रत्येक प्राथमिक एवं सामान्य पररिवारों की सूची को सार्वजनिक किया जाएगा।

**राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग**
- राज्य एवं राष्ट्रीय आयोग के तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संबंधित सरकारों की निवेदन के लिए विदेशी अधिकारियों एवं केरेंसी आयोग के प्रबंधन के लिए औसत्ति रूप से निवेदन की जाएगी।
भाग ब: प्रमुख मुद्दे एवं विश्लेषण

पीडीएस एवं डिलीवरी के अन्य तंत्र

इस विश्लेषक में पीडीएस आवश्यकता पत्ता के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। योजना आयोग एवं जर्जट वाणिज्य सुरक्षा समिति की रिपोर्ट के आधार पर पीडीएस के मूलदार क्षेत्र रखने में काँग्रेस को प्रभावित करने का उद्देश्य है। इसके लिए नए नियमों में जोड़ने के लिए पावन उपयोग में आए। नए नियमों में पीडीएस का बहिष्कार निषिद्ध किया गया है। व्यापक विकसित जनसंख्या के लाभ के लिए पीडीएस का बदलाव पात्रता तथा वित्त पोषण राज्य सरकार के कारण पीडीएस की व्यवहारक्रम का आवाज।

कैर द्राक्षक तथा पूर्व कृषि पीडीएस का निर्णय हो सकता है। लाभार्थी या कोई अन्य निर्णय दुर्गम या अन्य नियमों के अंतर का कारण पीडीएस की व्यवहारक्रम का अभाव।

हालांकि, निर्णय समिति ने टिप्पणी दी थी कि "लॉगिस्टिक एपीएस जी से संबंधित पूर्व कृषि कैश रांसफर के साथ राय सर्त कर चुके हैं। इस्तीफे से काफी प्रस्तावीय नियमों के अंतर का कारण पीडीएस तथा डिलीवरी के अन्य तंत्र का संकेत दिखाया है।

तालिका 2: पीडीएस तथा डिलीवरी के अन्य तंत्र के आदेशों

<table>
<thead>
<tr>
<th>तंत्र</th>
<th>नाम</th>
<th>हालार्थी</th>
</tr>
</thead>
</table>
| पीडीएस  | पीडीएस की मुद्रा, ज्ञात, एवं व्यवस्थापन से बचाना है।| पीडीएस का योजना एवं व्यवस्थापन का कारण पीडीएस की व्यवहारक्रम का अभाव।
| बीपीएस | व्यापक विकसित जनसंख्या के लाभ के लिए पीडीएस का बदलाव पात्रता तथा वित्त पोषण राज्य सरकार के कारण पीडीएस की व्यवहारक्रम का अभाव।
| पूर्व कृषि | पूर्व कृषि कैश रांसफर के लाभ के लिए आर्थिक रूप से प्रभावित। | पूर्व कृषि कैश रांसफर के लाभ के लिए आर्थिक रूप से प्रभावित।

स्रोत: डॉ. ए.एस. 6 डॉ. पीडीएस

लाभार्थी की पहचान

यह विश्लेषक जनसंख्या की तीन वर्गों में विभाजित करता है। प्रातिष्ठानिक समूह, सामान्य समूह, एवं अन्य। कई संस्थाओं जो जनसंख्या को वर्गों में विभाजित करना है उसे सामान्य लोगों की जनसंख्या की पहचान तथा वर्गीकरण करने की आवश्यकता है। लॉगिस्टिक एपीएस का योजना उपयोग में आए। जिस में जनसंख्या की व्यवस्थापन से प्रभावित हो सकता है।

प्रत्येक वर्ग के माध्यम से वित्त वित्तीय संस्थान के साथ संबंधित होते हैं। प्रत्येक वर्ग के माध्यम से वित्त वित्तीय संस्थान के साथ संबंधित होते हैं। प्रत्येक वर्ग के माध्यम से वित्त वित्तीय संस्थान के साथ संबंधित होते हैं।
वित्तीय ज्ञापि

खंड 8
20, 22
3
मभन्ि
रहे लोगों
यह विधेयक बेसहारा लोगों को प्रनत दिि एक भोजि का हक़िार बिाता है। इसमें भुखमरी अस्पष्ट्टताएं मशकायत की जा सकती है। यह अस्पष्ट्र् है। निमावण करता है। इससे संसि में लंबबत िागररकों को सामाि एिं सेिाओं की समयबद् अिायगी का अर्धकार तथा उिकी मशकयत डीजीआ अपूणभ सशकायत नििारण तथा ससटटज़ि चाटभर विधेयक के साथ ओिरलैप का कोई लचीलापि िहीं रह जाए।

व्यापकता स्पष्ट्र् िहीं है चूंकक प्रनतशत जिसंख्या जो सब्ससडी प्राप्त खाद्यान्ि की हक़दार है कुल लागत को िहीं िशावता है। कुछ विशेषज्ञों िे इस विधेयक में ऐसे प्रािधािों की कमी के कारण कुछ राज्यों में पात्रता में राजसित जीिि जी अर्धनियम में निम्ि उपलसध हैं अर्धकार अर्धनियम होगी। यदि ऐसा हो राष्ट्रीय खाद्य सुरिा विधेयक एगा।

प्रतिशत जनसंख्या जो सब्ससडी प्राप्त खाद्यान्ि की हकदार है

खंड 3
चूक पात्रता 75 प्रतिशत “टक” गामीण तथा 50 प्रतिशत “टक” शहरी जनसंख्या तक व्याप्त होंगी, पात्रताओं की वास्तविक व्यवकल स्टप नहीं है। इसका अर्थ होता है कि भोजन के हकदार लोगों की वास्तविक संख्या 75 प्रतिशत गामीण तथा 50 प्रतिशत शहरी जनसंख्या से कम हो सकता है।

इन पात्रताओं के संबंध में दो मुद्दे हैं। पहला, विधेयक प्राथमिकता एवं सामान्य समूहों में शामिल जनसंख्या के हिस्से के लिए विशेष कट-ऑफ संख्या नियंत्रित करने का अधिकार द्वारा नहीं पाता है। दूसरा, प्राथमिकता समूहों में 46 प्रतिशत गामीण जनसंख्या तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या शामिल करने की न्यूनतम अवस्था का अर्थ होता है कि सरकार के पास इस आंकड़े में संशोधन का कोई लचीलापि नहीं रह जाएगा (संसद द्वारा संशोधन पारित किये बिना)। यह तक कि समय के साथ गरीबी में रह सही जनसंख्या के हिस्से में परिवर्तन होने पर भी।

अन्य शिकायत निवारण तथा सिटिज़न चार्टर विधेयक के साथ ओवरलैप

खंड 20, 22 एवं 26
डीजीआओं, राज्य खाद्य आयोग, तथा राष्ट्रीय खाद्य आयोग से युक्त यह विधेयक शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है। इससे संसद में लंबे तारए राजस्तान के साथ एवं सेवाओं की समयबद्ध अदायगी का अधिकार तथा उनकी शिकायत निवारण से संबंधित विधेयक, 2011, (सिटिज़न चार्टर विधेयक) द्वारा प्राप्त समानांतर प्रेमकर्म स्थापित हो जाएगा। सिटिज़न चार्टर विधेयक द्वारा प्रत्येक सार्वजनिक अंशों को स्थिर, राज्य, तथा केंद्रीय रूप से शिकायत निवारण अधिकारों की निर्मितिक की आवश्यकता होती है, तथा यह विधेयक राज्य तथा केंद्रीय लोक शिकायत निवारण आयोग का गठन करता है।

इस विधेयक के तहत, व्यवहरण “मिलने वाले खाद्यान्ि अथवा भोजन के वितरण से संबंधित मामलों में” डीजीआओं के पास शिकायत कर सकते हैं। यह असरप्रेरक है कि क्या प्राथमिकता अथवा सामान्य समूहों से योग्य परिवारों को बाहर रखने से संबंधित मामले पर शिकायत की जा सकती है या नहीं।

अरुपप्टार्

भुखमी से पीड़ित तथा बेसहारा लोगों को पात्रता

यह विधेयक बेसहारा लोगों की प्रति दिन एक भोजन का हकदार बनाता है। इसमें भुखमी से पीड़ित लोगों को छ. माह के लिए प्रति दिन दो मुन्न भोजन का हकदार भी बनाया गया है। चूँकि “बेसहारा व्यक्ति” की परिभाषा में अनुसूचित की जीवन जी रहे या भुखमी से पीड़ित लोग भी शामिल हैं, यह अरुपप्ट है कि क्या यह विधेयक “भुखमी या भुखमी के समान परिस्थितियों में जी रहे लोगों” के लिए आरोप प्राधिकृत नहीं बनाता है। इस विधेयक में निम्न विवरणों पर भी अरुपप्ट है: व्यक्ति इस समूहों को प्रात्य पात्रता मिलन हैं; भुखमी से पीड़ित लोगों की पहचान के छ. माह के पश्चात कैसे व्यवहार किया जाएगा; तथा बेसहारा बेसहारा लोगों की पहचान कैसे की जाएगी।

26 फरवरी, 2012
- 5 -
खंड 32 एवं

खंड 39 एवं

उदेश्य: खाद्य सुरक्षा से सीधे संबंध नहीं हैं।

इस विधेयक में बताया गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय ऑथोरिटी अनुभव III में निर्देश उद्देश्यों को उत्तरोत्तर पूरा करने का प्रयास करने। इत्यादि, अनुसार राज्य सरकार सरकार, नगर निवासी प्रति साप्ताहिक, स्थानीय स्वदेशी, शास्त्रीय एवं शिक्षा संबंधी समग्र कार्यान्वयन; (त) वरिष्ठ नागरिकों, विवाहित लोगों एवं एकल महिलाओं को पूर्ण लाभ पैदा करने का स्पष्टतः है कि क्यों उन उद्देश्यों को इस विधेयक में शामिल किया गया है जिनका खाद्य सुरक्षा से सीधे संबंध नहीं है।

प्राथमिकता समूह का राज्यभर में वितरण

संपूर्ण देश के लिए 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की व्याप्ति पर पहुँचने के लिए राज्यभर में संचालित ने प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत का अनुपात लगाया। तालिका 3 में अनुसार प्राथमिकता समूह दिखाया गया है।

तालिका 3: प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात का अनुमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य/पूर्वी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अय्यर्वास</td>
<td>35.5</td>
<td>25.7</td>
<td>52.7</td>
<td>28.2</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्रागाध प्रदेश</td>
<td>37.0</td>
<td>25.9</td>
<td>मम्पु</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>अमर</td>
<td>40.0</td>
<td>24.0</td>
<td>मेमाय</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहार</td>
<td>31.3</td>
<td>48.1</td>
<td>मसतोम</td>
<td>25.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| चण्डीगढ़ | 60.8 | 31.2 | मससेल के मूल सारांश से इसकी पुक्ष्ट्र् की जा सकती है।

अंक 39 एवं अनुभव III

संपूर्ण देश के लिए 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की व्याप्ति पर पहुँचने के लिए राज्यभर में संचालित ने प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत का अनुपात लगाया। तालिका 3 में अनुसार प्राथमिकता समूह दिखाया गया है।

तालिका 3: प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात का अनुमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य/पूर्वी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अय्यर्वास</td>
<td>35.5</td>
<td>25.7</td>
<td>मम्पु</td>
<td>52.7</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्रागाध प्रदेश</td>
<td>37.0</td>
<td>25.9</td>
<td>मम्पु</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>अमर</td>
<td>40.0</td>
<td>24.0</td>
<td>मेमाय</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहार</td>
<td>31.3</td>
<td>48.1</td>
<td>मसतोम</td>
<td>25.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| चण्डीगढ़ | 60.8 | 31.2 | मससेल के मूल सारांश से इसकी पुक्ष्ट्र् की जा सकती है।

अंक 39 एवं अनुभव III

संपूर्ण देश के लिए 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की व्याप्ति पर पहुँचने के लिए राज्यभर में संचालित ने प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत का अनुपात लगाया। तालिका 3 में अनुसार प्राथमिकता समूह दिखाया गया है।

तालिका 3: प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात का अनुमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य/पूर्वी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अय्यर्वास</td>
<td>35.5</td>
<td>25.7</td>
<td>मम्पु</td>
<td>52.7</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्रागाध प्रदेश</td>
<td>37.0</td>
<td>25.9</td>
<td>मम्पु</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>अमर</td>
<td>40.0</td>
<td>24.0</td>
<td>मेमाय</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहार</td>
<td>31.3</td>
<td>48.1</td>
<td>मसतोम</td>
<td>25.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| चण्डीगढ़ | 60.8 | 31.2 | मससेल के मूल सारांश से इसकी पुक्ष्ट्र् की जा सकती है।

अंक 39 एवं अनुभव III

संपूर्ण देश के लिए 46 प्रतिशत ग्रामीण तथा 28 प्रतिशत शहरी जनसंख्या की व्याप्ति पर पहुँचने के लिए राज्यभर में संचालित ने प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के प्रतिशत का अनुपात लगाया। तालिका 3 में अनुसार प्राथमिकता समूह दिखाया गया है।

तालिका 3: प्राथमिकता समूह में प्रत्येक राज्य में जनसंख्या के अनुपात का अनुमान

<table>
<thead>
<tr>
<th>राज्य/पूर्वी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
<th>ग्रामीण</th>
<th>शहरी</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>अय्यर्वास</td>
<td>35.5</td>
<td>25.7</td>
<td>मम्पु</td>
<td>52.7</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्रागाध प्रदेश</td>
<td>37.0</td>
<td>25.9</td>
<td>मम्पु</td>
<td>43.2</td>
</tr>
<tr>
<td>अमर</td>
<td>40.0</td>
<td>24.0</td>
<td>मेमाय</td>
<td>15.4</td>
</tr>
<tr>
<td>बिहार</td>
<td>31.3</td>
<td>48.1</td>
<td>मसतोम</td>
<td>25.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| चण्डीगढ़ | 60.8 | 31.2 | मससेल के मूल सारांश से इसकी पुक्ष्ट्र् की जा सकती है।